भारत सरकार
उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या †417
उत्तर देने की तारीख 03 फरवरी, 2021 (बुधवार)
14 माघ, 1942 (शक)

प्रश्न

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र हेतु विशेष निधि

†417. श्री दिलीप शइकीया:
श्री रमेश चन्द्र कौशिक:

क्या उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सभी मंत्रालयों हेतु बजटीय प्रावधान के अतिरिक्त उत्तर पूर्वी राज्यों हेतु निर्मित मंत्रालय के लिए विशेष निधि के सृजन के लिए सरकार द्वारा कोई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं; और
(ख) वर्ष 2014 से असम सहित उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए आवंटित निधि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) और निर्देशों के अनुसार-विद्यमान दिशा (ख) सभी गैर विभागों को पूर्वोत्तर क्षेत्र/छूट प्राप्त केंद्रीय मंत्रालयों-में (एनईआर)केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर सकल बजटीय सहायता (जीबीएस)का कम से कम 10 प्रतिशत खर्च करने का अधिदेश है । तथापि, कोई राज्यवार आवंटन नहीं किया जाता है और स्वीकृत परियोजनाओंस्कीमों के लिए आवश्यकता के आधार पर राज्यों को धनराशि जारी की जाती है। वित्त वर्ष के / दौरान10% जीबीएस के तहत अप्रयुक्त धनराशि अव्यपगत केंद्रीय संसाधन पूल को (एनएलसीपीआर) हस्तांतरितकी जाती है, जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा प्रोफार्मा आधार पर व्यवस्थित रखा जाता है। वर्ष 2014-15 से 2020-21 तक 10% जीबीएस के तहत आवंटित धनराशि का विवरण नीचे दिया गया है:

विवरण 23/11, केंद्रीय बजट के अनुसार वर्ष 2014-15 से 2021-22 तक 10% जीबीएस के तहत बजट अनुमान और संशोधित अनुमान आवंटन

(आंकड़े: रूपये करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान*	संशोधित अनुमान*
2014-15	36,107.56	27,359.17
2015-16	29,087.93	29,669.22
2016-17	29,124.79	32,180.08
2017-18	43,244.64	40,971.69
2018-19	47,994.88	47,087.95
2019-20	59,369.90	53,374.19
2020-21	60,112.11	51,270.90**
2021-22	68,020.24	-

* नोट (एमएच) इसके अंतर्गत उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के मुख्य शीर्ष) :2552 और 4552 के प्रावधान शामिल हैं) ।

इसके अतिरिक्त, रेल मंत्रालय, छूट प्राप्त मंत्रालय विभाग और अन्य संगठन/ भी पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्याप्त व्यय करते हैं और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय को मंत्रालयविशेष पैकेजों को कार्यान्वित करने के /पूर्वोत्तर परिषद द्वारा विभिन्न स्कीमों/ लिए बजटीय आबंटनकिए जाते हैं, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

वर्ष 2014-15 से 2021-22 तक उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के बजट अनुमान और संशोधित अनुमान आवंटन

(आंकड़े: रूपये करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान*	संशोधित अनुमान*
2014-15	2332.78	1825.45
2015-16	2362.74	2000.14
2016-17	2430.01	2524.42
2017-18	2682.45	2682.45
2018-19	3000.00	2629.48
2019-20	3000.00	2670.00
2020-21	3048.73	1860.00**
2021-22	2658.00	-

* नोट1 केंद्रीय बजट के विवरण) :1 में प्रावधान शामिल हैं (एमएच) मुख्य शीर्ष (2552 और 4552 के तहत।(

दिनांक **01.02.2021 को संसद के समक्ष प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार।

उपर्युक्त के अलावा, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए वर्ष (एनईआर)2008-09 में सामाजिक और अवसंरचना विकास निधि का निर्माण विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए (एसआईडीएफ)किया गया जहां विशेष समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जिन्हें सामान्य स्कीमों के माध्यम से सुलझाया नहीं जा सकता है। एसआईडीएफ एकमुश्त पैकेज है जिसमें राज्य सरकारों द्वारा उनकी आवश्यकता के अनुसार प्राथमिकता दी गई परियोजनाओं को शामिल किया गया है, जिसमें अन्य के साथसाथ नई सड़कों और पुलों का निर्माण-, नए उप पारेषण लाइनों की/स्टेशनों-पुनःस्थापना, अस्पतालों का निर्माणउन्नयन/, स्कूलों की स्थापना, जल आपूर्ति परियोजनाएं आदि शामिल हैं।

*****